मंथन **क्रमांक**–159

विश्व की प्रमुख समस्या और समाधान विचारक बजरंग मुनि

सर्व व्यक्ति समूह को समाज कहते है। समाज के अंतर्गत पूरे विश्व का प्रत्येक व्यक्ति शामिल माना जाता है, चाहे वह अपराधी ही क्यों न हो। वर्तमान विश्व का यदि आकलन करें तो दुनियां धीरे–धीरे अशान्ति की दिशा मे बढ रही है। भौतिक उन्नति तेजी से हो रही है, किन्तु नैतिक पतन भी उतनी ही तेज गति से होता जा रहा है। व्यक्ति के स्वभाव मे असंतोष और असुरक्षा का भी भाव बढ रहा है। यदि हम भारत का आकलन करें तो भारत मे भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वर्ग विद्वेष बढ रहा है। परिवार टूट रहे है। व्यक्ति–व्यक्ति मे संवाद कम हो रहा है। आम लोगो की रात की नींद घटती जा रही है। इतनी अधिक भौतिक उन्नति होने के बाद भी अभी तक दुनियां तानाशाही से मुक्त नही हो सकी है। अभी भी चीन दुनियां के सामने एक बडी ताकत के रूप मे बना हुआ है। अभी भी चीन व्यक्ति के मौलिक अधिकार को न स्वीकार करके व्यक्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति ही मानता है। इस्लाम के नाम पर भी दुनियां के अनेक देशो में आतंकवाद पर नियंत्रण नही हो पा रहा है। ताकत के बल पर अफगानिस्तान मे साम्प्रदायिक तत्वो ने रूस को भी भगा दिया और अमेरिका भी हारकर चला गया । आज दुनियां अफगानिस्तान या कुछ अन्य देशो मे शान्ति प्रिय लोगो की सुरक्षा की गारंटी देने मे अपने को असमर्थ पा रही है। यदि कोई छोटा सा गिरोह ताकत के सहारे एक जुट हो जाये तो उसे रोकना विश्व व्यवस्था के लिये भी कठिन हो रहा है। स्पष्ट है कि दुनियां नीचे जा रही है।

हमे यह विचार करना होगा कि इसका दोषी कौन है। व्यक्ति को मिलाकर समाज बनता है और समाज से ही व्यक्ति का जन्म होता है, उसके संस्कार बनते हैं। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति में उसके माता–पिता, परिवार और समाज के ही संस्कार होते हैं, मतलब कि व्यक्ति पर समाज का ही अधिक प्रभाव पडता है। तब दोषी कौन! समाज बनता है व्यक्ति से और व्यक्ति बनता है समाज से । यह समीकरण उलझा हुआ होने के कारण स्पष्ट नही है कि वर्तमान गिरावट के लिये व्यक्ति दोषी है या समाज । हम यह तय नही कर पा रहे है कि अंडा अधिक दोषी है या मुर्गी। क्योकि व्यक्ति और समाज दोनो एक दुसरे से जुड़े हुए है। व्यक्ति और समाज के बीच मे परिवार की भी बहुत भूमिका है, जिसे हम समाज व्यवस्था की पहली इकाई मान सकते है। व्यवस्था को ठीक ढंग से चलाने के लिये ही हमने धर्म और राष्ट्र को जिम्मेदारियां सौंपी थी। धर्म मार्गदर्शन करता था और राष्ट्र सुरक्षा सहित अन्य व्यवस्थाओ की चिंता करता था। हम पूरी दुनियां मे देख रहे है कि धर्म का स्थान सम्प्रदायो ने ले लिया और सम्प्रदाय भी अब वैचारिक धरातल छोडकर संगठन के रूप मे बदल गये। स्पष्ट है कि धर्म समाधान की जगह समस्या बन गया । राष्ट्र भी राज्य तक सीमित हो गया तथा राज्य भी सुरक्षा और न्याय की गारंटी से हटकर समाज मे जन कल्याण के नाम पर वर्ग विद्वेष बढाने मे सक्रिय हो गया । इन सबका परिणाम हुआ कि आज व्यक्ति के स्वभाव मे लगातार स्वार्थ और उदंडता का भाव बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनियां मे व्यक्ति के स्वभाव मे आया यह बदलाव ही सबसे बडी समस्या है। लेकिन इस बदलाव पर नियंत्रण करने के लिये नियुक्त दोनो इकाईयां धर्म और राज्य विपरीत दिशा मे जा रहे हैं । परिवार भी इस संबंध मे असफल होते जा रहे हैं। अधिकांश परिवारो मे बच्चो को स्वार्थ और बल प्रयोग की सलाह दी जा रही है। सभी जगह या तो धूर्तता का प्रभाव बढ रहा है या हिंसा का। कुछ धूर्त लोग राजनैतिक शक्तियो के साथ मिलकर व्यक्ति को शरीफ बनने की प्रेरणा दे रहे है तो कुछ हिंसक लोग साम्प्रदायिक शक्तियो के साथ मिलकर व्यक्तियो मे कायरता का भाव बढा रहे हैं। शराफत और कायरता समाधान मे बहुत बाधक बन रहे है।

ऐसी स्थिति मे हमारे समक्ष मुख्य दो समस्याए है । पहला व्यक्ति के स्वभाव मे स्वार्थ और उदण्डता की बढती भावना के साथ साथ व्यक्तियो के एक दूसरे समूह मे शराफत और कायरता का बढ़ता भाव । दूसरी समस्या दुनियां के सामने यह है कि राज्य लगातार समाज को गुलाम बनाता जा रहा है। शासक और शासित की भावना भी तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन इन दोनो ही समस्याओ का समाधान व्यक्ति से शुरू करें अथवा समाज से यह बात समझ मे नही आ रही है। समाज राजनेताओ का गुलाम बन गया है और राजनेताओं को समझाना बहुत कठिन हो रहा है। उनके पास धूर्तता भी है और शक्ति भी है। सेना, पुलिस, सम्पत्ति, संविधान, कानून सब कुछ उनके हाथ मे है। उन्होने प्रचार माध्यमो का सहारा लेकर व्यक्तियो के अंदर गुलाम मानसिकता पैदा कर दी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ और हिंसा का भाव बढ रहा है लेकिन उस बुराई से राज्य पूरी तरह अछूता है। यह बुराई समाज पर ही बुरा प्रभाव डाल रही है, और समस्याओ की जड़ राज्य, इस संबंध मे कुछ भी समझने को तैयार नही है। ऐसी स्थिति मे हमारे सामने मजबूरी है कि हम दुनिया की इन दोनो प्रमुख समस्याओ के समाधान के लिये व्यक्ति के स्वभाव मे बदलाव की शुरूआत करें, जो परिवार से ही हो सकती है। यदि हम व्यक्ति के स्वभाव मे स्वार्थ और हिंसा कम करने की योजना बनाते है तो व्यक्ति के स्वभाव से शराफत और कायरता को भी दूर करना होगा । जब तक व्यक्ति शराफत और कायरता को छोडकर समझदार नही बनता तब तक किसी भी समस्या का समाधान संभव नही है। हम अन्य जो भी प्रयत्न कर रहे है वे प्रयत्न करते रहे। मै इस संबंध मे कुछ नही कहूंगा। किन्तु हमे साथ साथ परिवार व्यवस्था मे इस तरह का बदलाव लाने की शुरूआत करनी चाहिये कि व्यक्ति के अंदर स्वार्थ और उदण्डता के संस्कार भी कम हो जाये तथा व्यक्ति मे से शराफत और कायरता का भाव भी घट जाये । इसके लिये परिवार को मजबूत भी करना होगा और परिवार मे जन जागरण भी करना होगा। इसलिये दुनियां के सभी समस्याओ के समाधान की शुरूआत परिवार सशक्तिकरण से ही संभव है।

''समान नागरिक संहिता'' विचारक बजरंग मुनि

व्यक्ति और नागरिक एक होते हुये भी अलग–अलग भूमिकाओं में होते है। व्यक्ति सामाजिक भूमिका में होता है तो नागरिक संवैधानिक भूमिका में। व्यक्ति जब तक अकेला होता है तब तक वह व्यक्ति के रूप में होता है किन्तु जब व्यक्ति किसी संवैधानिक व्यवस्था के अंर्तगत रहना स्वीकार कर लेता है तब वह नागरिक कहलाता है। वैसे तो समूची दुनियां का एक संविधान होना चाहिये किन्तु अभी तक ऐसा कोई संविधान न बनने के कारण राष्ट्र को ही व्यवस्था की अंतिम इकाई मान लिया गया है। इसलिये किसी राष्ट्र के संविधान के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति नागरिक माना जाता है।

नागरिकता ग्रहण करने के बाद भी न व्यक्ति की सामाजिक मान्यता समाप्त होती है और न ही उसका मौलिक अधिकार। व्यक्ति जब तक अकेला है तब तक उसे असीम स्वतंत्रता प्राप्त है किन्तु जब व्यक्ति किसी परिवार का सदस्य बन जाता है तब उसकी असीम स्वतंत्रता समान स्वतंत्रता में बदल जाती है। इसी तरह व्यक्ति, विश्व समुदाय का सदस्य है। इसलिये उसकी स्वतंत्रता असीम होते हुये भी समान होती है। किसी भी नागरिक को समान स्वतंत्रता ही प्राप्त हो सकती है, असीम नहीं जबकि प्रत्येक व्यक्ति को असीम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इकाई में शामिल होते ही सम्पूर्ण समर्पण कर देता है किन्तु संपूर्ण समर्पण के बाद भी, इकाई में रहते हुये उसके मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं। किसी नागरिक के मौलिक अधिकार किसी भी परिस्थिति में तब तक कम नही किये जा सकते है, जब तक उसने अपराध न किया हो।

व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण उसकी असीम स्वतंत्रता है और किसी अन्य के साथ उसका व्यवहार नागरिक के रूप में प्रभावित–संचालित होता है। यह सामाजिक ताना–बाना जटिल होते हुये भी बिल्कुल साफ–साफ है कि व्यक्ति की व्यक्तिगत भूमिका और सामूहिक भूमिका एक साथ चलती रहती है अर्थात व्यक्ति को व्यक्तिगत मामले में निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता है और सामूहिक मामलों में वह समूह का निर्णय मानने के लिये बाध्य है। यही व्यक्ति और नागरिक के बीच का महत्वपूर्ण अन्तर है। व्यक्ति अपनी सहमति से नागरिकता स्वीकार करने के लिये स्वतंत्र है किन्तु कोई भी अन्य किसी व्यक्ति को नागरिक बनने के लिये बाध्य नहीं कर सकता। इसलिये असीम स्वतंत्रता व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है और उसकी स्वतंत्रता में किसी प्रकार कि बाधा पहुॅचाना अपराध है। आचार संहिता व्यक्ति स्वयं बनाता है और नागरिक संहिता व्यक्ति समूह बनाता है जिस व्यक्ति समूह में वह व्यक्ति स्वयं भी शामिल है तथा जो अपनी आचार संहिता बनाने के लिये स्वतंत्र है। इसका अर्थ हुआ कि आप नागरिकता स्वीकार करने के बाद तब तक अपनी स्वतंत्र आचार संहिता नहीं बना सकते जब तक आप अपनी नागरिकता न बदल ले। किसी व्यक्ति को अपनी नागरिकता बदलने से रोकना या बाधा पहुंचाना अपराध है यद्यपि अनेक साम्यवादी और मुस्लिम देश इसे अपराध नहीं मानते। वास्तविकता यह है कि संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान निर्माण में सभी व्यक्तिओं की बराबर भूमिका होती है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना आचरण करने के लिये बाध्य है क्योंकि उसने अपनी सहमति से नागरिकता स्वीकार कर ली है।

जब भारत का संविधान बना तब संविधान निर्माताओं ने भारत की मौलिक सोच के विरूद्ध विदेशी संविधानों की नकल की। उन्हें मौलिक अधिकार की परिभाषा का ज्ञान नही था, उन्हे व्यक्ति और नागरिक का फर्क भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं था, यद्यपि उन्होंने संविधान में दोनों को अलग–अलग करने का भी प्रयास किया। व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण उसकी असीम स्वतंत्रता है और सामाजिक व्यवहार समान स्वतंत्रता। समानता का यह अद्भुत तालमेल ही व्यवस्था है किन्तु संविधान लागू होते ही संविधान में असमानता के मनमाने प्रावधान डाल दिये गये। संविधान में स्पष्ट लिखा गया कि कोई भी कानून धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी परिस्थिति में कोई भेद नहीं कर सकता, किन्तु उसी के साथ परन्तु लगाकर राज्य को यह अधिकार भी दे दिया गया कि वह किसी भी प्रकार का कोई भी भेद करने वाला ऐसा कानून बना सकता है जो उसे जनहित में आवश्यक लगे। यहां तक कि संविधान संशोधन का भी अधिकार उसी तंत्र को दे दिया गया जो कानून बनाता हैं और पालन करवाता है। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से वास्तविक लोकतंत्र की हत्या करके एक नकली लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया क्योंकि लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा न समझने के कारण विदेशों से उधार ली गई परिभाषा को ही लोकतंत्र मान लिया गया। संविधान की कमजोरी का लाभ उठाने में संविधान निर्माताओं ने ही पहल कर दी। किसी ने न्यायपालिका के अधिकार सीमित कर दिये तो किसी अन्य ने हिन्दू कोड बिल बनाकर इस प्रावधान का दुरूपयोग किया। आगे चल कर तो ऐसा दुरूपयोग करने वालों की बाढ सी ही आ गयी। आदर्श लोकतंत्र में परिवार, गांव, जिला, प्रदेश और केन्द्र अपना–अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हुये भी केन्द्रिय संवैधानिक व्यवस्था के सहायक होते है किन्तु संविधान निर्माताओं ने प्राथमिक इकाई परिवार गांव और जिले की व्यवस्था को संविधान से बाहर कर दिया और जाति, धर्म, क्षेत्र, लिंग, उम्र के आधार पर चलने वाली स्वतंत्र व्यवस्थाओं को संविधान का अंग बना दिया। हम देख रहे है कि व्यवस्था को मजबूत करने वाली इकाईयां व्यवस्था से बाहर है दूसरी ओर व्यवस्था को कमजोर करने वाली इकाईयां व्यवस्था का अंग बनी हुई है। एक तरफ हिन्दुओं के लिये हिन्दू कोड बिल को संवैधानिक मान्यता दे दी गई तो दूसरी ओर मुसलमानों को उनका पर्सनल लॉ भी दे दिया गया। इसे संविधान या कानून बनाने वालों की बुरी नीयत न माना जाये तो क्या कहा जाये। किसी कानून को किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जब तक उस व्यक्ति की सहमति से संविधान न बना हो। दूसरी ओर नागरिक सहिंता किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नही कर सकती क्योंकि प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान होते है। किसी भी परिस्थिति में इन नागरिक अधिकारों को असमान नही किया जा सकता है। किन्तु भारत की नकली लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्ति के व्यक्तिगत मामलों में सब प्रकार के हस्तक्षेप करती है तो नागरिकता के मामले में भी अलग–अलग और असमान कानून बनाती है। भारत में धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्रियता, उम्र, लिंग, आर्थिक स्थिति, व्यावसायिक स्थिति में अलग–अलग कानून बनाकर वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष बढाना ही लोकतंत्र सशक्तिकरण का आधार बना दिया गया है। जिस देश में वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष ही लोकतंत्र का आधार होगा उस देष में अव्यवस्था बढ़ेगी ही। भारत में अव्यवस्था का बढ़ना इस रद्दी संविधान का स्वाभाविक परिणाम है।

स्पष्ट है कि परिस्थितियां जटिल है और बिगड़ती जा रही है। व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण में असीम असमानता हो सकती है और नागरिकता के कानून किसी भी परिस्थिति में असमान नही हो सकते। कोई कानून व्यक्ति के नागरिक व्यवहार में भेदभाव नहीं कर सकता जो किया जा रहा है। इसलिये यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि आचार संहिता में समानता के प्रयत्न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और नागरिक संहिता में असमानता की स्वीकृति अव्यवस्था का आधार है। नागरिक संहिता पूरी तरह समान ही होनी चाहिये क्योंकि प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान होते है। अल्पसंख्यक–बहुसंख्यक, अवर्ण–सवर्ण आदिवासी, महिला–पुरूष, पिछडे क्षेत्र, गरीब–अमीर, हिन्दी–अंग्रेजी, युवा–वृद्ध, किसान–मजदूर, उत्पादक–उपभोक्ता, ग्रामीण–शहरी, शिक्षित–अशिक्षित आदि का किसी भी प्रकार से कोई भेद बढ़ाने वाला कानून नहीं बनाया जा सकता। कोई भी व्यवस्था किसी विशेष स्थिति में किसी कमजोर की सहायता कर सकती है किन्तु अधिकार नहीं दे सकती। अधिकार और सहायता का अंतर भी संविधान बनाने वाले नहीं समझ सके तो यह किसका दोष है ? सामाजिक न्याय के नाम पर जो भी कानून बनायें गये हैं वे व्यक्ति के सामाजिक जीवन में भेद–भाव और असमानता पैदा करते है। सच्चाई यह है कि अन्याय दूर करने के नाम पर जिस अव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा हैं वह अप्रत्यक्ष रूप से अन्याय है क्योंकि न्याय और

व्यवस्था एक दूसरे के पूरक होते है। यदि अव्यवस्था बढेगी तो अन्याय बढेगा ही। व्यवस्था को कमजोर करके न्याय की मांग करना स्वार्थी राजनेताओं का व्यवसाय बन गया है।

स्पष्ट है कि समान नागरिक संहिता पूरी अव्यवस्था का एक बडा समाधान है। संघ परिवार जिस समान नागरिक संहिता की बात करता है वह समान नागरिक सहिंता के विपरीत है। वह समान आचार संहिता को ही नागरिक संहिता के रूप में प्रस्तुत करता है, जो घातक है। महिला हो या पुरूष, किसी को विशेषाधिकार नहीं होना चाहिये। जब हमारे कानून बनाने वालों ने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से एक से अधिक विवाह पर रोक लगाई वह रोक महिला और पुरूष की स्वतंत्रता का भी उल्लंघन थी और हिन्दू–मुसलमान के बीच में भेदभाव पैदा करने वाली भी थी । समान नागरिक सहिंता का अर्थ हिन्दू कोड बिल सरीखा ही कानून मुसलमानों पर लागू करना नहीं हो सकता है बल्कि मुसलमानों के समान ही हिन्दुओं को भी पर्सनल लॉ की छूट देकर हिन्दू कोड बिल को खत्म करना होना चाहिये जो न संघ परिवार कहता है न ही मुसलमान समझते है। यदि समान नागरिक सहिंता का स्पष्ट अर्थ समाज को बता दिया जाये कि भारत की सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था में 125 करोड व्यक्तियों को समान अधिकार होगें अर्थात भारत 125 करोड व्यक्तियों का देश होगा, धर्म जातियों या विभिन्न भाषाओं का संघ नही। तब सारे भेद पैदा करने वाली व्यवस्थायें अपने आप समाप्त हो जायेगी। जिस दिन भारत में समान नागरिक सहिंता लागू कर दी जायेगी उसी दिन हिन्दू कोड बिल अपने आप मर जायेगा। गरीब–अमीर के झगडे खत्म हो जायेंगे। महिला–पुरूष के भी बीच झगडे नही रहेंगे। आदिवासी ,हरिजन, सवर्ण जैसे शब्द इतिहास बन जायेंगे। क्षेत्रीयता अथवा भाषा के झगड़े नही रहेगे। अपने आप समस्यायें सुलझ जायेंगी। सबसे अच्छा तो ये होगा कि समाज में वर्ग विद्वेष पैदा करके राजनैतिक दुकानदारी चलाने वाले राजनेताओं की दुकाने बंद हो जायेगी।

मेरा स्पष्ट सुझाव है कि समान नागरिक संहिता भारत की सभी समस्याओं का एक बडा समाधान है। इस दिशा में सबको सक्रिय होना चाहिये।

कार्यालयीन प्रश्न

प्रश्न– अयोध्या फैसले को आप कैसे देखते है ?

उत्तर–अयोध्या बाबरी मस्जिद प्रकरण पर न्यायालय का निर्णय मुसलमानों को एक चेतावनी था कि आप समान नागरिक संहिता स्वीकार कर लो, बराबरी के अधिकार के अतिरिक्त आपके सामने और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन भारत के मुसलमानों को दुनिया के मुस्लिम संगठनों पर इतना अधिक भरोसा था की उन्होंने हार नहीं मानी, परिणाम हुआ वाराणसी विवाद शुरू हो गया, धीरे–धीरे पूरे देश के धर्म स्थानों पर इसी प्रकार विवाद शुरू होगा और इनके हाथ से निकलते जाएंगे क्योंकि ये समान नागरिक संहिता स्वीकार नहीं करेंगे और परिणाम इन्हें भुगतना ही पड़ेगा क्योंकि विस्तारवादी नीतियां अल्पकाल के लिए ही लाभदायक होती हैं, दीर्घकाल में यह नीतियां नुकसान पहुंचाती हैं। 14 सौ वर्षों तक आपने संगठन की ताकत पर बहुत तेज गति से विस्तार किया , अब परिणाम उल्टे आने वाले हैं। अच्छा हो कि अब मुसलमान अपनी नीतियां बदल ले, समान नागरिक संहिता स्वीकार कर ले ,सहजीवन मान लें ,जियो और जीने दो का सिद्धांत स्वीकार कर ले अन्यथा समापन का समय नजदीक दिख रहा है, भारत से इसकी शुरुआत हो रही है।

प्रश्न– समान नागरिक सहिंता और समान आचार सहिंता एक ही है या अलग–अलग है?

उत्तर– परिवार या समाज अपने सदस्यों के लिए जो नियम बनाता है वह उसकी आचार संहिता है। नागरिक संहिता तो वहाँ से शुरु होती है जब भारतीय संविधान अपने नागरिक के लिए कोई नियम या कानून बनाता है। वास्तविकता तो यह है कि संविधान या राज्य को व्यक्ति के व्यक्तिगत पारिवारिक या सामाजिक मामलों में कोई नियम कानून बनाने से बचना चाहिए तथा व्यक्ति, परिवार, समाज को भी चाहिए कि वह संविधान या राज्य के बनाये कानूनो में कोई हस्तक्षेप न करें। हो यह रहा है कि दोनों ही अपनी अपनी सीमायें तोड़ रहे है। विवाह करना, सन्तान उत्पत्ति, खान–पान, रहन–सहन, व्यापार, निवास, आदि राज्य के हस्तक्षेप से तब तक बाहर है जब तक वह किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधक न बनते हो।

प्रश्न– संघ द्वारा समान नागरिक सहिंता का मुद्दा उठाने से मुसलमान इसका विरोध क्यों करते है ?

उत्तर – संघ परिवार समान नागरिक संहिता की बात करता है और समान आचार संहिता को थोपना चाहता है। यही कारण है कि भारत के अल्पसंख्यको में यह अनावश्यक भ्रम पैदा हुआ कि समान नागरिक संहिता के नाम पर समान आचार संहिता थोप दी जायेगी। गाय, गंगा, मंदिर , विवाह , तलाक आदि के विषय में राज्य यदि कोई कानून न बनावे और बने हुए कानून भी हटा ले तो अल्पसंख्यकों और महिलाओं को कोई दिक्कत नही होगी।

प्रश्न– भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने सरकार को सलाह दी है कि सामाजिक बहिष्कार पर पूरी तरह प्रतिबंध लगना चाहिए कुछ क्षेत्रों में कुछ मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है। इस पर आपके क्या विचार है ?

उत्तर– मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हामिद अंसारी की सांप्रदायिकता पूर्व में ही प्रमाणित हो चुकी है कि वे सांप्रदायिक विचार रखते हैं। सामाजिक बहिष्कार प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता है और सामाजिक बहिष्कार से कोई कानून नहीं रोक सकता क्योंकि हम किसी दूसरे के स्वतंत्रता का अपहरण नहीं कर रहे हैं। समाज सर्वोच्च है और समाज को सामाजिक बहिष्कार की छूट होनी ही चाहिए। मैं हामिद अंसारी के इस प्रकार के बयान की निंदा करता हूं ।

प्रश्न– समान नागरिक सहिंता क्यो जरूरी है?

उत्तर– अंबेडकर जी को हिंदू धर्म के प्रति बहुत आक्रोश था, नेहरू जी के मन में हिंदू धर्म के प्रति द्वेष भाव था, दोनों ने मिलकर एक ऐसा हिंदू कोड बिल तैयार कराया जिससे हिंदुओं की आबादी घटती रहें और उन दोनों को अल्पसंख्यक वोट मिलते रहे। दोनों ही सांप्रदायिक विचारों से ओतप्रोत थे,दोनों ही अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति पर लगातार सक्रिय रहे। अंबेडकर तो प्रत्यक्ष रूप से गांधी विरोधी थे , किंतु नेहरू जी भी गांधी की नीतियों के लगातार विरुद्ध रहे; गांधी अधिकतम शासन मुक्ति के पक्षधर थे,यह दोनों अधिक से अधिक कानून बनाकर समाज को उसमे जकड़ कर रखना चाहते थे। हिंदू कोड बिल भारत के हिंदुओं के खिलाफ एक प्रत्यक्ष षड्यंत्र था , यह परिवार व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने वाला समाज में महिला और पुरुष के बीच वर्ग संघर्ष को बढ़ाने वाला कानून था। भारत की समाज व्यवस्था में अनेक टकराव पैदा करने में इस बिल की बहुत भूमिका रही है। हमें चाहिए कि हम हिंदू कोड बिल के गुण दोषों पर खुलकर चर्चा करें और धीरे–धीरे जन जागरण करें कि किसी भी धर्म के आधार पर कोई कानून नहीं बनना चाहिए। भारत में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए जिससे इस प्रकार के हिंदू कोड बिल सरीखे धर्म आधारित कानून बेमौत मर जाय।

भगवान प्रसाद खत्री (फेसबुक से)

प्रश्न– जिसे एक बार विशेष अधिकार मिल गया वो उसे छोड नहीं सकता। बराबर करना पडेगा मतलब बाकियों को भी वही अधिकार मिले।

उत्तर– सब के अधिकार समान होते ही हैं, इन अधिकारों को राजनेता और असमान कर देते हैं, कोई गरीब–अमीर के नाम पर करता है तो कोई महिला पुरुष के नाम पर करता है तो कोई अन्य किसी और आधार पर करता है लेकिन यह असमानता बनाई हुई है वास्तविक नहीं। वास्तव में सब के अधिकार समान हैं।

मोहन किंकर पाण्डेय (फेसबुक से)

प्रश्न– मुनि जी, आपने अपने एक लेख में ''कहा था अभी कुछ दिन पहले'' कि आप भारत को हिन्दू राष्ट्र बनने के पक्ष में नहीं हैं । बल्कि आप हिन्दू राष्ट्र की जगह समान नागरिक संहिता ही चाहते हैं । कृपा करके थोड़ा विस्तार से बताइये...

उत्तर– समान नागरिक संहिता का अर्थ है – भारत 135 करोड़ व्यक्तियों का देश हो धर्म ,जाति, भाषा,लिंग,उम्र,क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव कानून में ना हो। महिला–पुरुष, गरीब–अमीर, हिंदू–मुसलमान , आदिवासी–गैर आदिवासी जैसा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक के अधिकार समान होने चाहिए। मैं इसे समान नागरिक संहिता मानता हूं। व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए राज्य सिर्फ नागरिकता के मामले में ही दखल दे सकता है कि नागरिकता से भेदभाव ना हो।

सबका साथ व विश्वास का सूत्र ''समान नागरिक संहिता'' विनोद कुमार सर्वोदय

(राष्ट्रवादी चिंतक व लेखक) गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)

देश के संविधान की मूल आत्मा व सर्वोच्च न्यायालय के आग्रहों का सम्मान करते हुए शासन को ''समान नागरिक संहिता'' पर गम्भीरता से चिंतन करना चाहिये। अनेकता में एकता का राष्ट्रव्यापी विचार बिना एक समान कानून के अधूरा है। सबका साथ,सबका विकास व सबका विश्वास पाने का सशक्त सूत्र है ''समान नागरिक संहिता''। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को अपनी दृढ़ राजनैतिक इच्छाशक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रहित में आज केंद्रीय शासन जिस कार्यकुशलता व निर्णायक क्षमता से समस्याओं का समाधान करने के लिये संघर्षरत है उससे सभी देशवासी उत्साहित है। ऐसे सकारात्मक वातावरण में शासन को सबका साथ, विकास व विश्वास पाने के लिए सबको एक समान कानून के अंतर्गत लाकर इस बहुप्रतीक्षित कार्य को मूर्त रुप देना चाहिये।

सामान्यतः यह विचार क्यों नहीं किया जाता कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को सन् 1985, 1995, 2003 और 2019 में बार बार समाज में घृणा, वैमनस्य व असमानता दूर करने के लिए समान कानून को लागू कराने आवश्यकता जतायी है तो फिर अभी तक कोई सार्थक पहल क्यों नहीं हो पायी? वर्षों पूर्व किये गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 84 प्रतिशत देशवासी इस कानून के समर्थन में थे। जबकि इस सर्वे में अधिकांश मुस्लिम माहिलायें व पुरुषों की भी सहभागिता थी।अंतर्राष्ट्रीय संस्था 'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने भी सन् 2000 में समान नागरिक व्यवस्था अपनाने के लिए भारत सरकार से विशेष आग्रह किया था।

''समान नागरिक संहिता'' का प्रावधान धीरे–धीरे लागू करने की अनुशंसा हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में आरम्भ से ही है। परन्तु मुस्लिम वोट बैंक के लालच व इमामों के दबाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरु जी ने अनेक विवादों के बाद भी ''समान नागरिक संहिता'' के प्रावधान को संविधान के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा कर ''नीति निर्देशक तत्वों'' में डलवा दिया। परिणामस्वरूप यह विषय न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया और वह अब केवल सरकार को इस कानून को बनाने के लिए परामर्श दे सकती हैं, बाध्य नहीं कर सकती। अनेक विवादों के बाद भी सुधार के लिए, हिन्दुओं के पर्सनल लॉ होने के उपरांत भी उसके स्थान पर 1956 में उन पर हिन्दू कोड बिल थोपा गया था। परंतु अन्य धर्मावलंबियों के पर्सनल लॉ को यथावत् बनाये रखने की क्या बाध्यता थी जबकि उनमें भी आवश्यक सुधारों की आवश्यकता जब भी थी और अब भी बनी हुई है। निसन्देह मुस्लिम पर्सनल लॉ के यथावत बने रहने से मुस्लिम कट्टरता के दुःसाहस ने देश में घृणा के वातावरण को ही बनाया है।

विश्व के किसी भी देश में धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं होते, सभी नागरिकों के लिए एक सामान व्यवस्था व कानून होते हैं। केवल भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए पर्सनल लॉ बने हुए हैं, जबकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, लिंग, क्षेत्र व भाषा आदि के आधार पर समाज में भेदभाव नहीं करता और एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करता है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 26 से 31 में कुछ ऐसे व्यवधान हैं जिससे हिंदुओं के सांस्कृतिक,शैक्षिक व धार्मिक संस्थानों एवं ट्रस्टों को विवाद की स्थिति में शासन द्वारा अधिग्रहण किया जाता रहा है। जबकि अल्पसंख्यकों के संस्थानों आदि में विवाद होने पर शासन कोई हस्तक्षेप नहीं करता, यह भेदभाव क्यों ? इसके अतिरिक्त एक और विचित्र व्यवस्था संविधान में की गई कि अल्पसंख्यकों को अपनी धार्मिक शिक्षाओं को पढ़ने व पढ़ाने की पूर्ण स्वतंत्रता हैं,जबकि बहुसंख्यक हिन्दुओं के लिए यह धारणा मान ही ली थी कि वह तो अपनी धर्म शिक्षाओं को पढ़ाते ही रहेंगे। अतः हिन्दू धर्म शिक्षाओं को पढ़ाने का प्रावधान संविधान में लिखित रूप में नही किये जाने का दुष्परिणाम यह हुआ कि आज तक हिन्दुओं को उनके धर्म शास्त्रों की शिक्षा की कोई अधिकारिक व्यवस्था नहीं होने से वे अपने धर्म मार्ग से विमुख होते जा रहे हैं। आज तक हिन्दू समाज इस अन्याय के प्रति आक्रोशित तो हैं परन्तु संवैधानिक विवशता से बंधा हुआ हैं।

हमारे संविधान में अल्पसंख्यकों को एक ओर तो उनको अपने धार्मिक कानूनों (पर्सनल लॉ) के अनुसार पालन करने की छूट है और दूसरी ओर संवैधानिक अधिकार भी बहुसंख्यकों के बराबर ही मिले हुए है। फिर भी विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं और नीतियां जैसे परिवार नियोजन, पल्स पोलियो, राष्ट्रगान, वन्देमातरम् आदि पर इस सम्प्रदाय विशेष का आक्रामक व्यवहार बना ही रहता है। इनके पर्सनल लॉ के अनुसार उत्तराधिकार, विवाह, तलाक आदि के सम्बंध में मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न को रोका नहीं जा सकता।वर्तमान शासन ने मुस्लिम महिलाओं पर एक साथ ''तीन तलाक'' कहने की वर्षो से चली आ रही अमानवीय प्रथा को समाप्त करके एक सराहनीय कार्य अवश्य किया, परंतु बहुविवाह का चलन अभी भी बना हुआ है जिससे मुस्लिम महिलाओं की पीड़ा को समझना कठिन है। साथ ही प्रजनन द्वारा बच्चे जनने की कोई सीमा न होने से इन महिलाओं को विभिन्न गंभीर बीमारियों को झेलना पड़ता है जबकि जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर भी मुस्लिम समुदाय की बहुविवाह एक बड़ा रोड़ा बनी हुई है।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सन् 1947 में हुए धर्मधारित विभाजन के 74 वर्ष बाद भी देश में अल्पसंख्यकवाद को प्रोत्साहित करने की परंपरा यथावत बनी हुई है। इस कारण मौलिक व संवैधानिक अधिकारों के होते हुए भी पर्सनल लॉ की कुछ मान्यताएं कई बार विषम परिस्थितियाँ खड़ी कर देती है, तभी तो उच्चतम न्यायालय ''समान नागरिक संहिता'' बनाने के लिए सरकार से बार–बार आग्रह कर रहा है। ''राष्ट्र सर्वोपरि'' की मान्यता मानने वाले भी यह चाहते हैं कि एक समान व्यवस्था से राष्ट्र स्वस्थ व समृद्ध

होगा और भविष्य में अनेक संभावित समस्याओं से बचा जा सकेगा, साथ ही भविष्य में असंतुलित जनसंख्या अनुपात के संकट से भी बचेंगे और राष्ट्र का पंथनिरपेक्ष स्वरूप व लोकतांन्त्रिक व्यवस्था भी सुरक्षित रहेगी।

विभिन्न विषयो पर बजरंग मुनि जी के संक्षिप्त विचार

गांधीवादी संस्थाओ की समीक्षा–

मैं गांधीवादी संस्थाओं के साथ लंबे समय तक रहा हूं। मैं बचपन से ही जिन विचारों को महत्व देता था वे अधिकांश गांधीवादी विचारों से मेल खाते थे । पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश गांधीवादी संस्थाओं में टकराव और विवाद बढ़ने के कारण उनमें सरकारी और भाजपा वालों का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। गांधीवादी संस्थाएं इसका दोष भाजपा सरकार को देती है किंतु सच्चाई यह है कि इन के आपसी टकराव का लाभ भाजपा उठा रही है । चाहे वाराणसी का संस्थान हो या वर्धा सेवाग्राम का आश्रम, लगभग सभी जगह गांधी वादियों की पकड़ कमजोर होती जा रही है । मेरे विचार से यह स्वाभाविक ही था। गांधी जीवन भर समाजशास्त्र को ज्यादा महत्व देते रहे, गांधीवादी राजनेताओं के चक्कर में पड़ गए। गांधी पूरी तरह समझदार थे, गांधी को कोई राजनेता कभी धोखा नहीं दे पाया, गांधीवादी पूरी तरह शरीफ रहे। गांधी के मरते ही नेहरू परिवार तथा वामपंथियों ने इन भोले–भाले गांधी वादियों को अपना पिछलग्गू बना लिया। गांधी अहिंसक थे और नासमझ गांधीवादी नक्सलवाद, मुस्लिम सांप्रदायिकता, नेहरू परिवार के सत्ता के हथियार के रूप में काम आने लगे। गांधी खादी को विचार मानते थे पर गांधीवादी खादी को विचार कहते रहे और ड्रेस मानते रहे। इन्होंने खादी को अनिवार्य करके भूल की क्योंकि विचार कभी अनिवार्य नहीं होता। नेहरू परिवार और साम्यवादियों ने मिलकर गांधी नाम की दुकानदारी की और गांधी विचारों की हत्या कर दी। गांधीवादी पूरी ईमानदारी और सक्रियता के साथ उनका साथ देते रहे । ठाकुरदास बंग, सिद्धराज ढड्ढा, अविनाश भाई सरीखे कुछ समझदार गांधी वादियो ने बदलाव भी करना चाहा तो नेहरू परिवार, साम्यवाद प्रभावित गांधी वादियो ने उनका वह प्रयास विफल कर दिया । जिस तरह संघ परिवार राजनीति से दूर रहकर भी भाजपा की बी टीम के रूप में सक्रिय रहता है उसी तरह हमारे गांधीवादी, साम्यवादी, अल्पसंख्यक, नेहरू परिवार की बी टीम के रूप में राजनीति में सक्रिय रहे । भारत का आम हिंदू संघ परिवार से दूरी बनाकर रखता था किंतु गांधीवादी आम हिंदुओं से ही दूरी बनाने की मूर्खता करते रहे.। परिणाम हुआ कि सरकार बदलते ही गांधीवादी पूरे समाज से कट गए। अब गांधीवादी गांधी नाम के सहारे और खादी के भरोसे जिंदा नहीं रह सकते। उन्हें गांधी और खादी को विचार के रूप में आगे लाना होगा, उन्हें शराफत छोड़कर समझदार बनना होगा अन्यथा सारी संपत्ति एक–एक कर चली जाएगी और यह नेहरू परिवार की वफादारी दिखाते रह जाएंगे। अब इनके रोने धोने पर किसी भारतीय को जरा भी विश्वास नहीं है।

कोरोना काल मे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और उसका प्रभाव

कोरोना के डेढ़ वर्ष में भारत के आम लोगों की आय घटी और खर्च भी घटा, कुछ लोगों की कमाई बढी खर्च घटा, तो कुछ लोगों की कमाई बहुत घट गई और खर्च इतना नहीं घटा लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि आमदनी और खर्च का औसत करीब–करीब बराबर है। यह अवश्य है कि जब आय और व्यय दोनों घटते हैं तो विकास दर गिरी हुई मानी जाती है, जो स्वाभाविक ही है किंतु इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि विकास दर का जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि विकास दर तो सिर्फ एक पैमाना है जो आय व्यय घटते–बढ़ते का परिणाम बताती है। कल स्टेट बैंक ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसके अनुसार महंगाई बढ़ने के कारण आम लोगों के सामान्य खर्चों में भी कमी हुई है, यह आकलन बिल्कुल सही है। डीजल पेट्रोल का मूल्य बढ़ने का आम लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव देखा जा रहा है, इसके कारण आवागमन बहुत कम हुआ है। यात्रियों के अभाव में बहुत सी बसें बंद है, हवाई जहाज भी कम चल रहे हैं, लोगों का यात्रा व्यय भी घटा है, अन्य कुछ फालतू खर्चे भी घट रहे हैं, तथा कुछ जरूरी खर्चे भी घटे हैं । इस तरह लोगों का जीवन संतुलित हुआ है । सबसे अच्छी बात यह है कि इस संकट काल के कारण बड़ी संख्या में लोग खेती की ओर लौट रहे हैं और खेती रोजगार का एक माध्यम बन रही है। मुफ्तखोरों को पढ़े लिखे लोगों द्वारा खेती करने, मजदूरी करने में तो शर्म महसूस हुई लेकिन स्वयं आंदोलन करने, हराम का खाने पर अपने ऊपर गर्व महसूस हुआ। ऐसे लोग दूसरे लोगों को खेतों में काम करते देख शर्म महसूस कर रहे हैं और उन्हे स्वयं ट्वीट–ट्वीट का खेल खेलते रहने पर गर्व महसूस हो रहा है। जिन्हें वास्तव में शर्म आनी चाहिए उन्हें अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है और जो गर्व का काम कर रहे हैं उनके लिए उन्हें शर्म महसूस हो रही है। मुझे ऐसे निकम्मो के ट्वीट–ट्वीट खेल पर शर्म महसूस हो रही है। सरकार भी वर्तमान संकट काल में डीजल पेट्रोल की मूल्य वृद्धि से अपना काम चला रही है। कुल मिलाकर इतने बड़े संकट में भी सामान्य तरीके से पार कर गया या कर रहा है यह बहुत ही अच्छी बात है।

किसान आंदोलनकारी और न्यायालय

भारत में लाशों पर लंबे समय तक दुकानदारी करना बहुत पुरानी प्रथा रही है अभी भी इस प्रकार के प्रयोग लगातार चलते ही रहते हैं। किसान आंदोलन की लाश पर टिकैत लंबी दुकानदारी शुरू कर दिए हैं । एक किसान नेता ने आरोप लगाया है की राकेश टिकैत देश भर में घूम–घूम कर बड़े–बड़े नेताओं से सांठगांठ करके अपनी दुकान चला रहे हैं। इस दुकानदारी का ही परिणाम है कि यह समस्या लंबी होती जा रही है। बीच सड़क पर आंदोलन की लाश को रखकर अब आंदोलन को हवा देने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक किसान को जलाकर इसलिए मार दिया गया की उसकी हत्या को आत्महत्या सिद्ध करके आंदोलन को हवा दी जा सके। यह तो अच्छा हुआ कि मृतक ने सारी घटना अपने भाई को बता दी और एक भयानक योजना को असफल कर दिया । हमारी भारत सरकार किसान आंदोलन के प्रति शुरू से ही नरम रुख पर है, न्यायिक हस्तक्षेप के बाद तो सरकार और भी अधिक सुस्त हो गई है, इसलिए यह अपराधी तत्व चाहे यौन शोषण का उपयोग करें या तलवारबाजी करें लेकिन सरकार इस में कोई दखल नहीं देना चाहती। सरकार यह प्रतीक्षा कर रही है कि यह आंदोलन की लाश अपने आप सड़ेगी और जब दुर्गंध देगी तो उस दुर्गंध के कारण यह दुकानदार लाश को दफनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अथवा उसकी दुर्गंध से फैल रही बीमारियों के कारण आसपास के लोग परेशान होकर इस मामले को निपटा देंगे । न्यायपालिका ने इस मामले को पूरी तरह बिगाड़ दिया और बिगाड़ कर अब चुप हो गई है । हमारी न्यायपालिका को बाकी देश में बाजारों में दुकानों पर भीड़ भाड़ से कोरोनावायरस दिख रहा है लेकिन न्यायपालिका के द्वारा पल्लवित पोषित या जिंदा किए हुए इस आंदोलन को न्यायपालिका अब समीक्षा करने से भी दूर भाग रही है। ऐसा लगता है जैसे इस आंदोलन से कोरोना होगा ही नहीं। न्यायपालिका आंदोलनकारियों के संवैधानिक अधिकारों के प्रति बहुत सचेत है किंतु आसपास के ग्रामीणों के मौलिक अधिकारों की न्यायपालिका को कोई चिंता नहीं है । मैं समझता हूं कि इस आंदोलन में न तो सरकार हाथ डालना चाहती है न न्यायपालिका छूना चाहती है । यह दुकानदारी

पता नहीं कब तक चलती रहेगी और कब इस आंदोलन की दुकानदारी से देश को राहत मिलेगी। लगता है कि यह लाश अगले चुनाव तक इसी तरह सडती रहेगी और चुनाव के बाद देश को इन लोगों से मुक्ति मिलेगी।

उत्तरार्ध

अपनों से अपनी बात

अभ्युदय द्विवेदी रीवा मध्य प्रदेश

:–वर्तमान समय मे यदि देखा जाए तो संपूर्ण दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा(आक्रोश) के प्रति विश्वास बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और इसके विपरीत समाज में व्यक्ति का नैतिक पतन भी उतनी तेज गति से हो रहा है। जिसकी वजह से वर्तमान प्राकृतिक और सामाजिक व्यवस्था में संतुलन स्थापित बनाए रखने में बहुत बड़ी विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए **ज्ञान यज्ञ परिवार** इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित हेतु चार दिशाओं मे सतत माध्यम से प्रयासरत है **पहला**–ज्ञान चर्चा जो प्रतिदिन रात 8:30 से 9:30 तक जूम मीटिंग के माध्यम से किसी एक विषय पर प्रत्येक विद्वानों द्वारा अपने स्वतंत्र विचार आधे घंटे रखे जाते हैं और उसमें आधे घंटे का स्वतंत्र संवाद प्रश्नोत्तरी के माध्यम से किया जाता है **दूसरा–** प्रत्येक रविवार को प्रख्यात विचारक श्री बजरंग मुनि जी अपने ज्ञान मंथन कार्यक्रम मे पूर्व निर्धारित किसी विषय पर सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे तक विचार रखते हैं और प्रत्येक सोमवार को उसी विषय पर सुबह 11:00 बजे से 12:00 बजे 1 घंटे का प्रश्नोत्तर होता है और हम स्वयं शनिवार को तथा अन्य विद्वत जन किसी न किसी दिन अपने स्वतंत्र विचार जूम मीटिंग तथा फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन विचार एवं प्रश्नोत्तर, संवाद करते है। **तीसरा**– ज्ञान यज्ञ परिवार भिन्न–भिन्न विचारधारा के लोगों के साथ बैठ कर के आधे घंटे आयोजक के अनुसार स्वतंत्र धार्मिक कार्यक्रम एवं उसके ढाई गुना, किसी स्वतंत्र विषय पर स्वतंत्र चर्चा करने के पश्चात ज्ञान यज्ञ प्रार्थना करके समापन । इस प्रणाली को विकसित करते हुए जगह–जगह जाकर ज्ञान यज्ञ जन जागरण यात्रा के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि एवं समाज में क्रमगत अनुसार ज्ञान केंद्र निर्माण करने का प्रयत्न किया जा रहा था जो कुछ समय से कोरोना संकट के कारण अभी आफ लाइन विराम था लेकिन अब कोरोना संकट घट रहा है। इसलिए अब पुनः मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान की प्रमुख कमेटी एवं ज्ञान यज्ञ परिवार ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अब ऑनलाइन के साथ–साथ ऑफलाइन भी जनमानस के बीच जाकर लोगों से संपर्क किया जाए और ज्ञान यज्ञ केंद्र तथा ज्ञान यज्ञ परिवार से जुड़ने के लिए संवाद एवं शास्त्रार्थ स्थापित करने हेतु साधारण सदस्य एवं सक्रिय सदस्य के रूप में जोड़ने का प्रयत्न भी किया जाए इस गति को बढ़ाने के लिए ज्ञान यज्ञ परिवार देशभर में भावना और बुद्धि प्रधान लोगों के बीच में संतुलन बनाने के लिए माह अक्टूबर 2021 से देशभर में 100 स्थानों पर रेल मार्ग या स्वयं के वाहन के द्वारा ज्ञानयज्ञ जन जागरण यात्रा करने की योजना बनी है इस दिशा में चल भास या फोन के माध्यम से लोगों से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। तथा जिन स्थान एवं रूट से यात्रा की प्लानिंग की जा रही है उसका पूरा प्रारूप तैयार हो रहा है जैसे ही संपूर्ण प्रारूप बनकर तैयार हो जाएगा आप सभी मार्गदर्शक एवं ज्ञान यज्ञ परिवार से जुड़े एवं उक्त कार्य में रूचि लेने वाले सभी जनमानस को सूचित किया जाएगा। (चौथा) ज्ञान यज्ञ यात्रा के उपरांत ज्ञान कुंभ का आयोजन होगा जो 15 दिवस का होगा ,जो वर्ष में दो बार देश में कहीं भी किया जा सकता है इस कुंभ में दुनिया भर के सभी तरह के विद्वानों को स्वतंत्र रूप से भाग लेने एवं निश्चित विषय पर स्वतंत्र अपने विचार और सुझाव रखने की स्वतंत्रता होगी, और उस 15 दिवस के अंतर्गत जिन विषयों पर सर्वसम्मति बन जाएगी उसे समाज के बीच में प्रसाद के रूप में स्वीकारोक्ति स्वरूप समर्पित किया जाएगा। तथा उसी कुंभ के माध्यम से मार्गदर्शक का भी चयन होगा अभी चार दिशाओं में कार्य को गति देने के लिए सभी साथी मिलकर सक्रिय रूप से योजना का निर्माण कर रहे हैं। योजना उपरांत आप सभी सहयोगी एवं सहभागी साथियों को सूचित किया जाएगा। धन्यवाद :(ज्ञान यज्ञ परिवार)एवं मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान केंद्रीय कार्यालय रायपुर छत्तीसगढ़।

मैं 10 वर्ष पूर्व मोदी जी का प्रशंसक मात्र था अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका सहयोगी भी हूं । मैं स्वतंत्र विचारक होते हुए भी उनकी नीतियों के पक्ष में झुका रहता हूं। उन्हें भारत में शासन करते 7 वर्ष आज पूरे हो गए। हम आज के भारत की समीक्षा करें तो विपक्ष लगभग शुन्य की दिशा में जा रहा है विपक्षी नेताओं की मजबूरी हो गई है कि राष्ट्रीय विपक्ष के अभाव में क्षेत्रीय नेताओं को ही मिलकर केंद्रीय विपक्ष बनाने के लिए मजबूरी आ गई है। सांप्रदायिकता भी नियंत्रित है सांप्रदायिक मुसलमान तथा सांप्रदायिक हिंदू धीरे–धीरे कमजोर हो रहे हैं । राज्यसभा में भी आपकी स्थिति लगभग ठीक हो रही है। ऐसी हालत में आप की गति इतनी कम क्यों है यह चिंता का विषय है । जब आप मैदान में अकेले हैं तो अपनी गति बढ़ाइए यदि कोई बीच में बाधा आएगी तो हम लोग हैं । आपने कश्मीर में प्रशंसनीय कार्य किया आप ने किसानों को किसान नेताओं के चंगुल से भी आजाद कराया आपने चीन और पाकिस्तान के समक्ष भारत को बराबरी की ताकत भी दी किंतु तीन महत्वपूर्ण दिशाओं में आप की गति बहुत धीमी है। हम आपसे हमेशा समान नागरिक संहिता की मांग करते रहे हैं महिला पुरुष गरीब अमीर युवा वृद्ध हिंदू मुसलमान के भेदभाव को घटना चाहिए । दूसरी बात हम आपसे लोक स्वराज्य चाहते हैं इसका अर्थ है कि परिवार गांव जिलों को अधिकतम आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक स्वतंत्रता हो सरकार अनावश्यक कानून हटाती जाए । तीसरी बात हम यह चाहते हैं कि गरीब ग्रामीण श्रमजीवी कृषको के उत्पादन तथा उपभोग की सभी वस्तुओं को कर मुक्त करके डीजल पेट्रोल बिजली आदि का मूल्य ढाई गुना तक बढ़ा देना चाहिए। इससे श्रम के साथ न्याय होगा। श्रम शोषक पूंजीपति और बुद्धिजीवी कमजोर पड़ेंगे ग्रामीण उद्योग भी बढ़ेंगे शहर गांव का भेद कम होगा वस्तुएं महंगी होने से उपभोग घटेगा उत्पादन बढ़ेगा भारत आत्मनिर्भर होगा।आयात निर्यात का संतुलन भी ठीक होगा हमारा जीवन भौतिकता से कुछ प्राकृतिक दिशा में मजबूत होगा। लेकिन तीनों मामलों में आप चींटी की चाल चल रहे हैं आप मरते हुए विपक्ष से चिंतित हैं इसलिए अभी सांप्रदायिकता विपक्षी गठजोड़ से डरकर समान नागरिक संहिता से बच रहे हैं । आप अपने राजनीतिक साथियों से डरकर लोक स्वराज्य की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आप पूंजीवाद के चक्कर में श्रम के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपने यह क्या मजाक बना रखा है कि कभी 20 30 पैसा डीजल पेट्रोल बड़ता है तो कभी घट जाता है । हिम्मत करके चार ₹5 रोज का बढ़ाइए । बुद्धिजीवियों पुजीपतियों से श्रम को न्याय मिलना चाहिए । मन की दुविधा को हटाइए दुष्ट प्रवृत्तियों को आप मारते जाइए लाशें गिनने और ठिकाने लगाने का काम हम कर रहे हैं। वर्तमान समय में मैदान साफ है। भारत की अधिकांश धर्मनिरपेक्ष स्वावलंबी गरीब ग्रामीण श्रमजीवी आपके साथ पूरी तरह डट कर खड़ा है हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप तीनों दिशाओं में बहुत तेजी से कदम उठाएंगे। आज आपके शासन के 7 वर्ष पूरे होने पर मेरी आपसे यही उम्मीद बनी है।